न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–255/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/255)

1. छोटू पुत्र शेरखां आयु 80 वर्ष जाति पठान निवासी ग्राम अजबा का बाडिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. साबिर पुत्र छोटू खां जाति पठान निवासी ग्राम अजबा का बाडिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ,नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 17/2013

उपस्थितः–

1. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री प्रदीप यादव, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः–06.12.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 17/2013 मे पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/वादी ने एक राजस्व वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2015 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट बाघसूरी म विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया तत्पश्चात दिनांक 31.01.2020 को तहसीलदार नसीराबाद द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए गए तथा प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया था जिससे प्रकरण की जानकारी दिनांक 15.12.2020 को निर्णय की जानकारी तथा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 16.12.2020 को निर्णय की जानकारी करवाकर नकल प्राप्त की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया गया था जिस उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30.06.2015 द्वारा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि मोहम्मद पुत्र अन्नू खां की विरासत में संबंधित प्रकरण है। इसलिए तहसीलदार नसीराबाद मोहम्मद पुत्र अन्नू खां के सभी वारिसानों की साक्ष्य ली जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर केवल मात्र अपीलांटस को ही साक्ष्य हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय ने अपने साक्ष्य सबूत पेश कर विवादित आराजी मोहम्मद पुत्र अन्नू खां से खरीदना बताते हुए इकरारनामा हांसल की रसीद बयान दर्ज करवाए थे किंतु तहसीलदार ने अपीलांट को व मोहम्मद पुत्र अन्नू खां के अन्य वारिसानों को साक्ष्य व सूनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही एकतरफा में निर्णय प्रदान किया गया और निर्णय में अपीलांट व अन्य वारिसों को पक्षकार मुर्तिब किए बगैर ही आदेश पारित किया है। जबकि अपीलांट व अन्य वारिस आवश्यक पक्षकार थे। इस कारण अपीलांट तहसीलदार पक्षकार होने से अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश दिनांक 30.6.2015 की पालना में तहसीलदार ने अप्रार्थी के पक्ष में नामांतकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने एक अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है। उक्त गैर कानूनी आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी तथा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 26.10.2021 को आवेदन किया और नकल दिनांक 28.10.2021 को प्राप्त हो गई तत्पश्चात प्रार्थी अपने गांव गया और फीस आदि की व्यवस्था कर वकील साहब से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवाकर आज बिना किसी विलंब के न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोरोना महामारी एवं लोकडाउन के कारण अपील के मियाद के बिंदु पर 2 अक्टूबर 2021 तक छूट प्रदान की गई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अलग से मियाद में दिनांक 3.10.2021 से 90 दिन की छूट दी गई है इसलिए प्रार्थी की अपील माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपेक्ष में अंदर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने तथ्य छुपाते हुए दावा पेश किया था क्योंकि रेस्पोडेंट ने दावे में अपने आपको मोहम्मद का जायंदा पुत्र बताकर कूटरचित वसीयत के आधार पर दावा पेश किया था जिसको रेस्पोडेंट/वादी ने साबित नहीं किया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट/वादी के वाद को खारिज कर दिया था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रकरण नामांतरकरण की जांच कर कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी ट्रायल है जिसमें किसी के हक व अधिकारों का निस्तारण नियमित राजस्व वाद में ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि अपीलांट द्वारा पेश दावे व रेस्पोडेंट/वादी द्वारा पेश दावे को एक साथ समेकित कर दावे व जवाब दावे के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। रेस्पोडेंट/वादी ने जानबूझ कर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को दावे में पक्षकार नहीं बनाया था। अपीलांट एक प्रभावित पक्षकार है। जिसको सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 96 जा0दी0 का रेसपोडेंट द्वारा किसी प्रकार विरोध नहीं किया है। प्रार्थी/ अपीलांट का धारा 96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए हैं वे सदभाविक है। अतः अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा करावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 व 53 में अधीनस्थ न्यायालय को यह अंतर्निहित अधिकार नहीं है कि वह अपने आप खातेदारी घोषणा भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के दावे को नामांतरकरण की अपील में बदल दे जैसे कि न्यायिक दृष्टांत 2018 आर0बी0जे पेज 645 में प्रतिपादित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेसपोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवान के जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट अपील किस प्रकार पीड़ित पक्षकार है बताया नही हैं। वर्तमान में अपीलांट उपखण्ड अधिकारी के निर्णय से किस प्रकार पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असमर्थ रहा है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में कोई ठोस कारण अंकित किए उससे प्रतीत नही होते है कि उक्त विवादित आराजी से पीड़ित, हितबद्ध पक्षकार है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 96 जाप्ता दीवानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

8. विद्वान अभिभाषक रेसपोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेसपोडेंट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादी की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी भूमि वाके मौजा ग्राम अजबा का बाडिया पटवार क्षेत्र बनेवाडा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाघसूरी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में अवस्थित है। उपरोक्त आराजीयात के वर्तमान आधार जमाबंदी अनुसार हाल खसरा नम्बर 437 रकबा 0.75, 440 रकबा 0.53, 441 रकबा 0.01, 442 रकबा 0.60, 485 रकबा 0.53, 486 रकबा 0.56, 508/1039 रकबा 0.10 593 रकबा 0.35, 595 रकबा 0.19, 598 रकबा 0.23, 601 रकबा 0.04, 602 रकबा 0.18, 603 रकबा 0.24 हैक्टर के मूल खातेदार मोहम्मद खां पुत्र अन्नू कौम पठान दर्ज है तथा मोहम्मद खां की मृत्यु हो चुकी है जिसका एक मात्र वारिस साबिर है का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जाना चाहिए जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

नहीं किया गया तथा मोहम्मद खां द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 12.1.1997 को वादी साबिर को अपना उत्तराधिकारी मानते हुए बक्शीशनामा दो रूपए के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया तथा मौहम्मद खां के कोई औलाद नहीं होने से वसीयत से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज की जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबंद किया जावे। राजस्थान सरकार भू-धारक होने से पक्षकार मुर्तिब किया गया है के लिए धारा 80 (2) का जा0दी बाबत नोटिस की छूट हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया वाद कारण दिनांक 13.12.2012 को उत्पन्न हुआ जब वादी अपने निजी कार्य के लिए पटवारी हल्का से नकले प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उनका नाम जमाबंदी में अंकन नहीं है एवं अनुतोष के रूप में खातेदारी एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया।जिस पर वाद दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की गई एवं दिनांक 30.6.2015 को रेसपोडेंट के वाद को केम्प कोर्ट में पेशी नियत कर अंतिम रूप से फैसला कर दिया गया तथा प्रकरण को तहसीलदार नसीराबाद को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि मोहम्मद खां के समस्त वारिसों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर मोहम्मद की विरासत की कार्यवाही धारा 135(2) में करावें। अपीलांट ने उक्त वसीयतनामा को सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नही दी है। अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में यह साबित नहीं सके कि उक्त आराजियात उनके पुश्तैनी आराजी है। खातेदार मौहम्मद खॉ के द्वारा अपने जीवन काल में ही दिनांक 12.01.1977 को वादी साबिर का अपना उत्तराधिकारी मानते हुए बक्शीशनामा दो रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया तथा मौहम्मद खॉ के कोई औलाद नही होने से वसीयत से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज कराने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है ।

11. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना-पत्रों व अपील की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में कथन किया है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में वाद राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने अपने निर्णय दिनांक 30.06.2015 द्वारा प्रकरण तहसीलदार, नसीराबाद को इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया है कि वादग्रस्त आराजियात मौहम्मद पुत्र अन्नू की खातेदारी की है । वादी का कथन है कि वह मौहम्मद का एकमात्र वारिस है किन्तु इसके समर्थन में कोई सजरा प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है ना ही वादी द्वारा तथाकथित वसीयतनामा पेश किया है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में यह भी कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अपीलांट को ही सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 31.01.2020 को किया गया है । उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा वाद डिक्री नहीं किया गया है अपितु प्रकरण अंतर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार को जांच उपरांत निर्णित करने के निर्देश दिये है जिसमें अपीलांटस को सुनवाई का अवसर प्रदान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कर तहसीलदार द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है । तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.01.2020 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आदेश के विरूद्ध केवल एक ही विधिक कार्यवाही की जा सकती है, किसी भी आदेश आदेश के विरूद्ध दो पृथक–पृथक कार्यवाही संयोजित नही की जा सकती है । इसके अतिरिक्त अपीलांट के अपील मीमों में अंकित कथनानुसार अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में विवादित आराजियात बाबत् प्रस्तुत वाद विचाराधीन है । अपीलांट को उक्त वाद में क्या हक व अधिकार प्राप्त होगें इन समस्त तथ्यों का निस्तारण बाद साक्ष्य किया जावेगा । वर्तमान में अपीलांट उपखण्ड अधिकारी के निर्णय से किस प्रकार पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असमर्थ रहा है । उपरोक्त विवेचन के कम में अपीलांट उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 30.06.2015 से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । अतः अपील के गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किया जाता है।

12. परिणामत् अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी खारिज होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर